न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (द्वितीय), सीकर

न्यायालय

राजेन्द्र व ——— बनाम सहायक अभियंता

किस्म मुकदमा 212 RTA मु. नं. 260/2008 वर्ष

दिनांक	आज्ञा - पत्र	
9/4/24	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष हाजिर पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 6/5/24 को पेश हो।	
6/5/24	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष हाजिर पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वकील वादी ने कुछ दस्तावेज सूची मय पेश की। दिनांक 27/5/24 को पेश हो।	
27/5/24	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष हाजिर पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29/5/24 को पेश हो।	
29-5-24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी/वादी का मुख्य कथन था कि वाके ग्राम बेरी मंहगों की ढाणी में किता दो कृषि भूमियाँ जिनके पुराने ख०नं. 81 रकबा 20 बीघा 6 बिस्वा तथा ख०नं. 84 रकबा 22 बीघा 11 बिस्वा अवस्थित थी, जो प्रार्थी/वादी तथा अप्रार्थी/प्रतिवादी सं. 3 ता 10 के पूर्वजों के कब्जे काश्त में चली आ रही थी। जिनमें से खसरा नं. 81 की भूमि पर अप्रार्थी/प्रतिवादी सं. 3 ता 7 व 9 तथा कृषि भूमि खसरा सं. 84 की भूमि पर प्रार्थी/वादी के पूर्वज (एक ही पूर्वज के वंशज) कब्जा काश्त करते आ रहे थे। सैटलमेंट वर्ष 1980-81 के दौरान पुराना ख०नं. 81 के नये खसरा नं. 162, 163, 164 (कूप गलत रूप से) व 165 तथा ख०नं. 84 के नये ख०नं. 161 व 167 परिवर्तित कर दिये गये।	

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

PTO

दिनांक	आज्ञा - पत्र
	वकील प्रार्थी/वादी का कथन था कि अप्रार्थी/प्रतिवादी सं.-5 जो एक चालाक किस्म का व्यक्ति था, ने सैटलमेंट अधिकारियों से सांठ-गांठ कर नये ख.नं. 164 (कूप) जो पुराने ख.नं. 84 का हिस्सा था, को पुराने ख.नं. 81 का हिस्सा दिखाकर गलत रूप से खातेदारी दर्ज करवा ली। जबकि नये ख.नं. 164 (कूप) पुराने ख.नं.-84 की भूमि का हिस्सा था। तथा कूप का निर्माण संवत् 2011 में प्रार्थी/वादी के पूर्वज ने करवाया था। अतः प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जावे। बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का कथन था कि प्रार्थी/वादी के पूर्वज तथा अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 7 व 9 के पूर्वज अलग-अलग थे। वे किसी एक ही सजरा खानदान के वारिस नहीं थे। पुराना ख.नं. 81 की भूमि पर अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 7 व 9 के पूर्वज कब्जा काश्त करते थे तथा पुराना ख.नं. 84 की कृषि भूमि पर प्रार्थी/वादी के पूर्वज कब्जा काश्त करते थे। सैटलमेंट वर्ष 1980-81 के दौरान हमारे पूर्वजों की कृषि भूमि पुराना ख.नं. 81 की भूमि के नये ख.नं. 162, 163, 164 (कूप) व 165 परिवर्तित किये गये जो सही है। हमारे पूर्वज ने ही पुराने ख.नं. 81 की भूमि के एक हिस्से में कूप का निर्माण करवाया था। प्रार्थी/वादी का यह कथन कि नये ख.नं. 164 (कूप) पुरानी भूमि ख.नं. 84 का हिस्सा थी मनगढ़त व मिथ्या है। अतः प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे। हमने वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

PTO

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (द्वितीय), सीकर

न्यायालय ____________________

____________________ बनाम ____________________

किस्म मुकदमा ____________________ मु. नं. ____________ वर्ष ____________

दिनांक	आज्ञा - पत्र
	इस प्रकरण में मुख्य विवाद सेटलमेंट वर्ष 1980-81 के दौरान परिवर्तित ख. नं. 164 गै. मु. कुआ को लेकर है जिसकी खातेदारी पुराना ख. नं. 81 से आयी या ख. नं. 85 से आयी। जिसका निर्णय तथ्यों, दस्तावेजों, सबूतों व साक्ष्यों के आधार पर वादपत्र पत्रावली में होना है।
	उपरोक्त विवेचन के आधार पर सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु वकील प्रार्थी/वादी के कथन पर आंशिक रूप से चलना होना प्रतीत होता है।
	अतः प्रार्थी/वादी के प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आंशिक रूप से स्वीकार कर वादपत्र के निर्णय तक उभयपक्षकारान को ग्राम स्वरूपपुरा पटवार हल्का बेरी तह व जिला सीकर की भूमि ख. नं. 164 गै. मु. कुआ की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।
	निर्णय आज दिनांक 29-05-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
	(हस्ताक्षर)
	सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर
	पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।
	(हस्ताक्षर)
	सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर